न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 32/2020

1. सीताराम पुत्र स्व गंगाधर
2. कौशल्या पत्नि सीताराम
3.सुभाष पुत्र सीताराम
4.सावित्री पत्नि सुभाष

समस्त जाति गुर्जर निवासी व्यास मोहल्ला वार्ड न0 30 दौसा।

...अपीलांट्स

बनाम

1. सरकार जरिये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा जिला दौसा।

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा दिनांक 20.11.2020 प्रकरण बाबत वार्ड मे नाम दर्ज करवाने।

उपस्थित : 1. श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स

निर्णय दिनांक: 27.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा ने दिनांक 20.11.2020 को ग्राम दौसा के वार्ड नं0 30 व्यास मोहल्ला क्षेत्र मे अपीलार्थीगण द्वारा वार्ड नं0 23 के स्थान पर वार्ड नं0 30 मे निर्वाचक नामावली मे नाम स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन किया था। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा ने आवेदन पत्र अपूर्ण भरा होने से सूचनाओं के अभाव में नाम स्थानान्तरित नहीं करने के आदेश पारित कर दिये गये। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। अप्रार्थी को अपील मय संलग्नक की प्रति भिजवाकर मूल रिकार्ड व रिपोर्ट मय टिप्पणी मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। फील्ड लेवल सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्वाचक नामावली में "आवेदन अपूर्ण होने से दावा खारिज योग्य होना" अंकित किया गया। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा अपीलार्थीगण के आवेदन पत्रों मे नातेदार का नाम, जन्म दिनांक, संबंधियों का ब्यौरा, हस्ताक्षर दिनांक और स्थान अंकित नहीं होने से आवेदन अपूर्ण होने तथा सूचनाओं के अभाव के कारण दावा खारिज कर दिया गया। पुनः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा से अपीलार्थीगण के वर्तमान निवास स्थान के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट मय अभिशंषा एवं सबूत/अभिलेख प्राप्त की गई। जिसमे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) दौसा द्वारा अपीलार्थीगणों के निवास संबंधी जांच सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (नगर परिषद) (तहसीलदार) दौसा के अनुसार अपीलार्थीगण वार्ड नं0 30 में स्थायी रूप से निवास करना बताया गया। प्ररूप 3 के संलग्न निवास स्थान के संबंध में अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट में अपीलांट सं0 01 एवं 02 को व्यास मौहल्ला दौसा ग्रामीण अंकित होना बताया, जो कि वार्ड नं0 30 के परिसीमन मे शामिल है एवं अपीलांट सं0 03 एवं 04 डगलाव वाले बालाजी के पास, रलावता रोड, दौसा होना बताया, जो कि वार्ड नं0 23 के परिसीमन मे शामिल होना अंकित है। परन्तु आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अपूर्ण है।

अतः अपीलार्थीगणों के आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ कार्यालय का मूल अभिलेख मय निर्णय की प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 27 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा